**नैशनल कोमोडिटी एंड डेरिवेटिव्ज एक्सचेंज लिमिटेड**

एक्सचेंज के सभी विक्रय तथा समाशोधन सदस्यों को परिपत्र
परिपत्र क्रं. : एनसीडीईएक्स / निगरानी एवं जांच-002/2019
दिनांक : 29 जनवरी 2019
विषय : कोमोडिटी डेरिवेटिव्ज के लिए स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा डिस्क्लोजर्स

यह उक्त विषय पर एक्सचेंज के परिपत्र क्रं.एनसीडीईएक्स / निगरानी एवं जांच-001/2019 दिनांक 07 जनवरी 2019 के क्रम में है,जिसके द्वारा,एक्सचेंज से "दिनांक 4 फरवरी 2019 से प्रभावी,महत्वपूर्ण प्रतिभागियों,सदस्यों तथा बाजार खुली स्थिति सीमाओं के लिए,डिस्क्लोजर के उत्पाद (कोमोडिटी) वार प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित किया गया था.उल्लिखित डिस्क्लोजर के संबंध में ग्राहक स्तरीय स्थिति यूनिक पॅन स्तर पर होगी तथा उसमें हेजर्स सहित सभी ग्राहकों का डाटा शामिल होगा.

इसके अलावा,उक्त रिपार्ट में,परिपत्र क्रं.एनसीडीईएक्स /निगरानी एवं जांच-003/2017/014 दिनांक 16 जनवरी 2017 के अनुसार परिभाषित मापदंड के अनुसार,"खुली स्थितियों को एकत्र करने पर दिशानिर्देश"के आधार पर, एकत्रित ग्रहकों की स्थिति शामिल की जाय.

यह भी नोट किया जाय कि,मौजूदा पद्धति के अनुसार,निम्नलिखित रिपोर्टें उपलब्ध होना जारी रहेंगी :

- अधिकतम खुली स्थिति के क्रम में 10 उच्चतम ट्रेडिंग ग्राहक - जिसमें,हेजर्स को छोडकर,ग्राहक कूट स्तर पर (अनाम तरीके से) 10 उच्चतम ट्रेडिंग ग्राहकों की खुली स्थिति का ब्यौरा निहित हो.
- हेजर्स का ब्यौरा -जिसमें अनाम तरीके से हेजर्स को मंजूर की गई उत्पाद वार हेज सीमा का ब्यौरा निहित हो.
- प्रत्यक्ष निपटान ब्यौरा - जिसमें,माह के लिए हेजर्स सहित 10 उच्चतम ग्राहकों द्वारा उत्पादों की प्राप्ति तथा भुगतान (आबंटन ब्यौरा )का ब्यौरा निहित हो.

**नैशनल कोमोडिटी एंड डेरिवेटिव्ज एक्सचेंज लिमिटेड**
के लिए तथा की ओर से जारी

अविनाश मोहन
ई.वी.पी.

किसी अगली जानकारी / स्पष्टीकरण के लिए कृपया निम्न से संपर्क करें :-
3.ग्राहक सेवा समूह टोल फ्री नंबर : 1800 26 62339
4. ग्राहक सेवा समूह : ई-मेल द्वारा : askus@ncdex.com